केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00029
CICOM/R/P/21/00051

अपीलकर्ता : श्री यशवन्त कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता
29, कृष्णा निवास
श्री महामाया दुर्गा मंदिर के नजदीक
न्यू मंगलापुरी, नई दिल्ली - 110030.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.01.2021
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	03.02.2021, 09.02.2021 एवं 11.02.2021
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री राम कुमार, श्री सी. विनोद बाबू, श्रीमती अमिता चौहान
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	08.02.2021 एवं 12.02.2021
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	11.02.2021 एवं 22.02.2021
निर्णय की तारीख	08.03.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.01.2021 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

1. अभी मामले की सुनवाई किस वर्ष की हो रही है?
2. अभी विचाराधीन सुनवाई की संख्या कितनी है ?
3. सरकार द्वारा आयोग में मुख्य आयुक्त और आयुक्त के संस्वीकृत पद कितने हैं ?
4. वर्तमान में कितने मुख्य आयुक्त और आयुक्त कार्यरत हैं ?
5. वर्तमान में कितने मुख्य आयुक्त और आयुक्त के पद रिक्त हैं ?
6. मुख्य आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति किस मंत्रालय/कार्यालय/विभाग द्वारा की जाती है ?
7. मुख्य आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति की पात्रता/शर्तें/तय मापदण्ड/प्रक्रिया क्या-क्या है ?
8. मुख्य आयुक्त और आयुक्त की प्रति माह वेतन कितने देय हैं ?
9. मुख्य आयुक्त और आयुक्त के कार्यकाल की निर्धारित अवधि कितीन होती है ?

प्रदान की गई सूचना

2. आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों श्री राम कुमार द्वारा दिनांक 03.02.2021 को बिंदु सं. 1 एवं 2, श्री सी. विनोद बाबू द्वारा दिनांक 09.02.2021 को बिंदु सं. 3 से 7 एवं 9 तथा श्रीमती अमिता चौहान द्वारा दिनांक 11.02.2021 को बिंदु सं. 8 के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई हैं:-

1. वांछित सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in के Cause List कॉलम में उपलब्ध है ।
2. वांछित सूचना हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग की बेवसाईट के लिंक https://dsscic.nic.in/appeal-comp-status-dak-file/file_list_report1/1 के Appeal/Complaint भाग में उपलब्ध है ।
3. मुख्य सूचना आयुक्त -1, सूचना आयुक्त - 10

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
09 MAR 2021
D. No.
Initials.

ok

4. मुख्य सूचना आयुक्त - 1, सूचना आयुक्त - 7
5. मुख्य सूचना आयुक्त - शून्य, सूचना आयुक्त - 03
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
7. सूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त की जा सकती है ।
8. मिसिल संख्या CIC/Cash Section/RTI/2020 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से श्रीमती अमिता चौहान द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का मासिक वेतन विवरण प्रेषित किया गया है ।
9. सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है ।

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 एवं 2 के संदर्भ में दिनांक 03.02.2021 के पत्र के माध्यम से प्रदान की गई सूचना से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.02.2021 को प्रथम अपील दाखिल किया है जिसमें अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि "वांछित समस्त बिंदुवार सूचनाएं की अभिप्रमाणित प्रतियॉ ही प्रेषित किए जाने आग्रह मूल पत्र में किया गया था, लेकिन आयोग ने वेबसाईट लिंक देकर अपने कार्य को इतिश्री कर दी" तथा अनुरोध किया है कि "समस्त बिंदुवार सूचनाएं सक्षम अधिकारी की हस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित प्रतियॉ ही उपलब्ध कराने/करने का कृपा की जाए" ।

दिनांक 09.02.2021 के पत्र के माध्यम से श्री सी. विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 7 से संबंधित सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने दिनांक 12.02.2021 को प्रथम अपील दाखिल किया है, जिसमें अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि - मांगी गई सूचना यदि आयोग के पास उपलब्ध नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर उसकी प्रतिलिपि आवेदक को दिए जाने का प्रावधान है तथा अनुरोध किया है कि बिंदु सं. 7 की समस्त सूचनाएं सुलभ कराई जाए ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 15.01.2021 के आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 एवं 2 के प्रतिउत्तर में श्री राम कुमार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ही है । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश सं. W.P. (C) 11271/2009 में उल्लेख किया है कि 'Once information has been provided in public domain and on the website, the information is no longer held by or under the control of any public authority and hence, is no longer accessible as 'right to information'. अत: इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री सी. विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 09.02.2021 को प्रेषित सूचना में आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 7 के संदर्भ में यद्यपि जन सूचना अधिकारी ने बता दिया है कि सूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त की जा सकती है, परन्तु अपीलकर्ता का कथन भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के

अनुसार ही है कि 'यदि सूचना आयोग के पास उपलब्ध नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आवेदन सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाना चाहिए', तद्नुसार श्री सी. विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 7 से संबंधित सूचना हेतु आर.टी.आई. आवेदन संबंधित विभाग को अग्रसारित किया जाए ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 08, मार्च, 2021.

मीना शर्मा
08/3/20

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री सी.विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (Admin), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्रीमती अमिता चौहान, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (Cash Section), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

09/03/21

09/03/2021